



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237481
CG-DL-E-23072022-237481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3173]
No. 3173]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का. आ. 3334(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3265(अ) तारीख 12 अगस्त 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में NH731A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.000 (मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, (चौड़ा करने/दो/ चार लेन का बनाने,आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15 अगस्त, 2021 " को "हिन्दुस्तान" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में NH731A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.000 (मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: प्रतापगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुंडा				
	गांव का नाम: औतारपुर				
1	1110	सरकारी	तालाब	0.0026	तालाब (१११०)
2	1111	सरकारी	तालाब	0.0205	तालाब (११११)
3	58	निजी	कृषि	0.0111	बाबूलाल/ रिवाई/ नि. ग्राम (५८)
4	58	निजी	कृषि	0.0037	भगौती/ शिवनाथ/ नि. ग्राम (५८)
5	58	निजी	कृषि	0.0037	सुखदेव /शिवनाथ/नि. ग्राम (५८)
6	58	निजी	कृषि	0.0006	जमुनाप्रसाद/ सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
7	58	निजी	कृषि	0.0006	शिवमूरत/सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
8	58	निजी	कृषि	0.0006	श्यामादेवी/ सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
9	58	निजी	कृषि	0.0055	रानी/ राजाराम/नि.भदशिव (५८)
10	58	निजी	कृषि	0.0055	राजपति/ जीतलाल/ नि.अहिबरनपुर (५८)
11	58	निजी	कृषि	0.0055	सुशीला/ लालजी/ नि.बेंती (५८)
12	58	निजी	कृषि	0.0055	कुसुम देवी / रामदीन / नि.गनीपुर सोरांव इला0 (५८)
13	58	निजी	कृषि	0.0055	गणेश कुमार सुतान राजाराम नि. ग्राम (५८)

14	58	निजी	कृषि	0.0055	विजय कुमार सुतान राजाराम नि. ग्राम (५८)
15	58	निजी	कृषि	0.0037	कन्धई/ शिवनाथ/ नि. ग्राम (५८)
16	58	निजी	कृषि	0.0037	मनीराम/शिवनाथ/नि. ग्राम (५८)
17	58	निजी	कृषि	0.0006	रामसुख/ सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
18	58	निजी	कृषि	0.0006	अशोक कुमार/सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
19	58	निजी	कृषि	0.0006	पन्नालाल/ सन्तराम/नि. ग्राम (५८)
20	58	निजी	कृषि	0.0012	धीरेन्द्र/पंचम/नि. ग्राम (५८)
21	58	निजी	कृषि	0.0012	नारेन्द्र/पंचम/नि. ग्राम (५८)
22	58	निजी	कृषि	0.0012	महेश/पंचम/नि. ग्राम (५८)
गांव का नाम: छेवंगा					
23	252	सरकारी	नदी	0.0246	नदी (२५२)
24	253	निजी	कृषि	0.0155	विनोद, प्रमोद सुतान रामसुख नि. ग्राम (२५३)
25	253	निजी	कृषि	0.0155	मोहित, ओमप्रकाश, पंकज सुतान रामऔतार नि. ग्राम (२५३)
26	254	निजी	कृषि	0.0323	मंगरू/ सुखराम/ नि. ग्राम (२५४)
27	277	अन्य	कृषि/बंजर	0.0206	श्रीमती माधुरी देवी /दिनेश कुमार/ नि. ग्राम बिसहिया, बंजर (सरकारी) (२७७)
28	278	निजी	कृषि	0.0015	रामऔतार, भगौती/ गयादीन/ नि. ग्राम (२७८)
			कुल	0.1992	

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2022

S. O. 3334(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), Vide S.O. No.3265(E) dated 12th August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (Widening two / four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH731A on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 35.000 (CE-RO-OFFICER PRATAPGARH) in the district of PRATAPGARH in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “Hindustan Times” both dated 15th August 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH731A in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 35.000 (CE-RO-OFFICER PRATAPGARH) in the district of PRATAPGARH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: PRATAPGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kunda				
	Village: Autarpur				
1	1110	Government	Pond	0.0026	Pond 1110
2	1111	Government	Pond	0.0205	Pond 1111
3	58	Private	Agricultural	0.0111	Babulal /Rivai/ Own Village 58
4	58	Private	Agricultural	0.0037	Bhagauti/ Shivnath/ Own Village 58
5	58	Private	Agricultural	0.0037	Sukhdev/Shivnath/ Own Village 58
6	58	Private	Agricultural	0.0006	Jamunaprasad/ Santram/ Own Village 58
7	58	Private	Agricultural	0.0006	Shivmurat/ Santram/ Own Village 58

8	58	Private	Agricultural	0.0006	Shyamadevi/ Santram/ Own Village 58
9	58	Private	Agricultural	0.0055	Rani/ Rajaram/ Ni.Bhadashiv 58
10	58	Private	Agricultural	0.0055	Rajpati/ Jeetlal/ N. Ahibaranpur 58
11	58	Private	Agricultural	0.0055	Sushila/ Lalji/ Ni. benti 58
12	58	Private	Agricultural	0.0055	Kusum Devi/ Ramdin/ Ni. Ganipur soraon All. 58
13	58	Private	Agricultural	0.0055	Ganesh Kumar Sutan Rajaram Own Village 58
14	58	Private	Agricultural	0.0055	Vijay Kumar Sutan Rajaram Own village 58
15	58	Private	Agricultural	0.0037	Kandhai/ Shivnath/ Own Village 58
16	58	Private	Agricultural	0.0037	Maniram/ Shivnath/ Own village 58
17	58	Private	Agricultural	0.0006	Ramsukh/ Santram /Own Village 58
18	58	Private	Agricultural	0.0006	Ashok Kumar/ Santram/ Own Village 58
19	58	Private	Agricultural	0.0006	Pannalal/ Santram/ Own Village 58
20	58	Private	Agricultural	0.0012	Dhirendra/ Pancham/ Own Village 58
21	58	Private	Agricultural	0.0012	Narendra/ Pancham/ Own Village 58
22	58	Private	Agricultural	0.0012	Mahesh/ Pancham/ Own Village 58
	Village: Chhewanga				
23	252	Government	River	0.0246	Nadi 252
24	253	Private	Agricultural	0.0155	Vinod, Pramod Sutan Ramsukh R/o Village 253
25	253	Private	Agricultural	0.0155	Mohit, Omprakash, Pankaj Sutan Ramautar R/o Village 253
26	254	Private	Agricultural	0.0323	Mangroo S/o Sukhram R/o Village 254

27	277	Common	Agricultural/Barren	0.0206	Mrs. Madhuri Devi / Dinesh Kumar/ Ni. Village Bisahiya / Banjar (Govt.) 277
28	278	Private	Agricultural	0.0015	Ramautar, Bhagauti S/o Gayadin/ R/o Village 278
			TOTAL	0.1992	

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director